

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

MJC No. 1172/2021 (Nitu Kumari Vrs. The State of Bihar & Ors., Arising Out of CWJC No. 7905/2019) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या-50/2014, सहायक प्राचार्य, हिन्दी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुक्रमांक-50015929, नीतू कुमारी का अंतिम परीक्षाफल।

आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में हिन्दी विषय के सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या- 50/2014 का परीक्षाफल दिनांक 12.02.2019 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें अन्य उम्मीदवारों सहित एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक- 50015929, नीतू कुमारी को नेट उत्तीर्ण नहीं होने एवं उनकी पीएच.डी. डिग्री Without UGC Regulation 2009 होने के आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गयी थी।


उम्मीदवार, नीतू कुमारी, अनुक्रमांक-50015929 द्वारा अपने अनहर्ता के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 7905/2019 दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.08.2020 को उक्त वाद के स्वीकृति के साथ-साथ वादी के परीक्षाफल को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त पारित आदेश के विरुद्ध आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपीलवाद संख्या-23/2021 दायर की गयी, जिसे दिनांक 18.01.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP No- 6251/2023 दायर किया गया, जो सुनवाई हेतु लम्बित है।

उल्लेखनीय है कि CWJC No. 7905/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.08.2020 को पारित आदेश के आलोक में वादी/याचिकाकर्ता द्वारा MJC No- 1172/2021 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.12.2023 को याचिकाकर्ता के परीक्षाफल को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा MJC No- 1172/2021 में दिनांक 15.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में आयोग नीतू कुमारी, अनुक्रमांक-50015929 को अनारक्षित (01) कोटि के अन्तर्गत इस शर्त के साथ की माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP No. 6251/2023 में पारित होने वाले न्यायादेश के फलाफल से उक्त चयन/नियुक्ति प्रभावित होगी को सफल घोषित करता है।

तिथि: 19 दिसम्बर, 2023

  
परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना